

## संपादकीय

दीपावली-पाँच दिन उत्सव  
और पर्व दीपावली

## विचार बिन्दु

जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। -रवींद्रनाथ ठाकुर

चुनाव का प्रथम चरण  
पूरा हो गया

दे

श की 5 विधान सभाओं के चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है ये राज्य हैं, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, लेंगानान, मिजोरम। लेख का संबंध राजस्थान विधानसभा से है चुनाव प्रक्रिया को तीन खण्डों में बटाता जा सकता है। नोमिशन, विद्वान्स अल व मतदान व चुनाव का रिजल्ट। नामांकन को प्रक्रिया प्रक्रिया के सेलेक्शन के लिये किसी भी पार्टी के कोई नियम नहीं दिखाई दिये। निर्णय लेने की क्षमता में सभी राजनीतिक पार्टीयों का कमज़ोर दिखाई दी है।

साधारणतः उम्मीदवारों की लिस्ट एक अथवा दो होती रही है। इस बार तो सात तक लिस्टें प्रकाशित हुई हैं। अन्तिम चौकाने वाली थी। राजनीतिक पार्टीयों ने सम्प्रवत: यह घोषणा कर दी थी कि अपनी पार्टी छोड़ और विरोधी पार्टी से टिकट प्राप्त करा। कांग्रेस व बीजेपी में इस बाबत होड़ लगी हुई है। ऐसे विधायक मलिङ्ग को बीजेपी ने बांधी से टिकट दिया। कर्नल सोनाराम चौधरी, मनोज पांडा, प्रशांत शर्मा को कांग्रेस व बीजेपी में आते हो तो घले ही तय था। ज्योति खण्डलाल ने बीजेपी में शामिल हुई। इसका कारण यह बताया गया कि कांग्रेस में उनको कोई पूछ ही नहीं रही। लगातार हारने वालों को टिकट दिये गये कारण बताया कि पार्टी की यही नीति रही है कि सभी संघटनों को प्रतिनिवित दिया जावे। कई उम्मीदवारों की सीटें बदली गईं। कई नवे चौहरे भी लिये तो कई बड़े बड़े नेताओं का नाम लिस्ट में पड़ने को नहीं मिला।

ऐसे बारे में होता है कि कांग्रेस व बीजेपी दोनों ने टिकट दिया किन्तु उनका विवेक ब्याथा था, यह समझ से परे था। यह पहली बार हुआ कि राजीव जाइन के बारे में अपनी बाबत और तकाल टिकट पाया। चुनाव बहुत नाकामी होगा और कई नीतियों विस्तर पैदा करने वाले होंगे। कई सीटों के चुनाव दिलखस्प होंगे। गुर्जर बनाम गुर्जर, और जाती बनाम जाती की टक्कर का तमाशा यादगार रहेगा बोटों का धूमीकरण होने से मुकाबला रोचक होगा। शायद इस बार हिन्दुकुम्भ का नारा चलेगा और मुस्लिम बोट बटोंगो गणित के कई गुरु दर्शन वाले उम्मीदवारों को बोटों का धूमीकरण हो जायेंगो। उम्मीदवारों की भाव बढ़ायेंगे। प्रसाद की विक्री बढ़ायेंगे, कुछ को रोजगार भी मिलेगा। चुनाव के मैदान में आप सीधे सकते हैं, लव-जिहाद, सनातन हिन्दुकुम्भ धर्म परिवर्तन का बाबा होंगा।

गत वर्षों में हैरानी पर कार्ट ने तथा समाज ने राजनीतिक पार्टीयों की अच्छी खिंचाई की थी। चुनाव के समय हेट स्पीच पर चुनाव कानून के अनुसार अपराध है और गलत आचरण भी, इसके कारण चुनाव के नीतियों गंभीर रूप से प्रभावित होना माना जा सकता है और चुनाव निरस्त तक भी हो सकता है।

चुनाव के समय विशेषकर अपनी पार्टी बदलकर धूमीकरण पार्टी जाइन करने पर भी दस बदल कानून लागू किया जा सकता है अथवा नया कानून बनाना चाहिये। जो उम्मीदवार नोमिनेशन प्राप्त करते समय अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, तो उसे क्युनेसपलि किया जाना चाहिये। साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

विशेषज्ञ मानते हैं कि बागी प्रत्याशी 9.1 तेरी बाट बल्कि बांटे होते हैं। भाजा पार्टी को प्रत्याशी के बारे में जो विशेषज्ञ परिषद और विरिष्ट विशेषज्ञ और विशेषज्ञ परिषद दोनों होते हैं। ऐसे प्रवार्याशी को प्रत्याशी दोनों ही पार्टीयों को समाविष्ट किया जाना चाहिये। साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।

चुनाव में खड़ा होने वाला पादा लिखा होना चाहिये। उसे संविधान की जानकारी हो और अनुच्छेद 51 के साथ कर्तव्य दिये हैं, उन्हें निष्ठा के साथ घोषणा होनी चाहिये। नामांकन पत्र में यह घोषणा होनी चाहिये। और साथ ही विधायक को दी जाने वाली पेंशन नहीं दी जानी चाहिये। उस सीट को जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, वेकेंट मानक दुर्बार चुनाव होने चाहिये।</p